विधान सभा प्रश्न क्र. 1718 का परिशिष्ट-

[5/7/2024]

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020—आश्विन 17, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्र. ई—1—249—2020—5—एक.— श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे (2010), उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई—1—252—2020—5—एक.— डॉ. मसूद अख्तर भाप्रसे (2001), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ—साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग घोषित किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. विजय दत्ता, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र.–एफ–07–22–1993–दस–3.– राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 के तारतम्य में वर्तमान में प्रचलित निस्तार नीति के समस्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित निस्तार नीति जारी की जाती है :–

1. (क) निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी, जो कि वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत स्थित है. पांच कि.मी. की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा. ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा.

(ख) नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 कि.मी. की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा. इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे.

(ग) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी.

(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी.

2. पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा.

3. जिन पांच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहां ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जायेगा. इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूल के लिये एकजाई रूप से की जायेगी.

4. वनों से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित शुल्क पर जिसमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जावेगी तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा. इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास

"रिवाल्विंग कोष" हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये "प्रोजेक्ट निगोशियेशन्स" के समय प्रयास किये जाये.

5. उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों की वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा. ग्रामीणों की वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंध का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा. सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारित कर सकेगी.

6. वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जायेगा.

7. प्रति बसोड परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगे. बसोड़ परिवार को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर देय रायल्टी पूर्णतः माफ होगी. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.

8. बसोड़ जाति के समान बसोर, बुरुड़, बॉसोर, बॉसोड़ी, बॉसफौर, बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ होगी. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.

9. बसोड़ समुदाय की तरह बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को भी उपलब्धता के आधार पर 150 बांस प्रति वर्ष प्रदाय किया जायेगा. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.

10. पान बरेजा परिवारों को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 500 बांस प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रदाय किया जायेगा. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.

11. नई निस्तार नीति दिनांक 10–03–2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र.–1329–853–2020–बावन–1.– उक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें. जिला रेशम अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के जिलों में कलेक्टर से स्थानीय स्तर पर शासन की योजनाओं के तहत मलबरी एवं टसर रेशम कृमिपालन के लिये भूमि प्राप्त कर रेशम गतिविधियां प्रारंभ की गई है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	रेशम केन्द्र का नाम	स्थापना वर्ष	आवंटित भूमि का रकबा	खसरा नंबर	गतिविधि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	झाबुआ	सदला	2014–15	8.75 एकड़	58	शहतूत नर्सरी एवं मलबरी चॉकी कृमिपालन.
2	बालाघाट	डोंगरिया नवीन	2014–15	24.00 एकड़	252/1	मलबरी रेशम कृमिपालन.
3	बालाघाट	सीता डोंगरी	2014–15	81.34 एकड़	557/1	मलबरी रेशम कृमिपालन.
4	होशंगाबाद	हरित गूजरवाडा	2010–11	90.00 एकड़	446/1	मलबरी रेशम कृमिपालन.
5	हरदा	दुधकच्छ	2009–10	6.605 हेक्टे.	87/1	मलबरी रेशम कृमिपालन.
6	शहडोल	कुम्हारी	2013–14	8.292 एवं 14.973 हेक्टे	50/1 एवं 104	मलबरी रेशम कृमिपालन.
7	शहडोल	सकरा	2013–14	11.101 हेक्टे.	7/1	मलबरी रेशम कृमिपालन.
8	छिंदवाड़ा	हर्रई	2007–08	0.648 हेक्टे.	73	नर्सरी केन्द्र पर चॉकी कृमिपालन कर कृषकों को वितरण.

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल